



पत्रांक : 12190 / प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2018-19

दिनांक : 27-10-2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/गृह जनपद/ /सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री गौरव कुमार (2014277)/मेरठ/ 31.08.2047	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।
2	श्री पुनीत कुमार दुबे (2015160)/गाजियाबाद/ 31.08.2045	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, चन्दौसी अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी। (श्री हरेन्द्र सिंह की प्रोन्नति से रिक्त हुये पद पर)
3	श्री संजय कुमार (20123402008042)/ सहारनपुर/ 31.07.2031	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, शामली।	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बिलासपुर अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, बिलासपुर। (रिक्त पद पर)
4	श्री सूर्य कुमार (20122912004159)/ हरिद्वार/ 31.08.2029	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, अमीननगर सराय अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बागपत। (रिक्त पद पर)
5	श्री तेजवन्त कुमार गुप्ता (2017293)/बलिया/ 31.10.2044	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड, खतौली।	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (नग०) खतौली अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, खतौली। (रिक्त पद पर)

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं०: 270-ज०श०एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2018-100 (1)प्र०सु०/92 दिनांक 28.03.18 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं० 10(i) एवं 10(ii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

M4745

क्रमशः.....2/

